सत्यमेव जयते

नगरपालिका आम निर्वाचन–2022

<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>शिकायत</th><th>Call Centre पर प्राप्त प्रश्नों के आधार पर मतदाता सूची संबंधित संभावित प्रश्न का उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 का वर्तमान में 74 नगरपालिकाओं के गठित वार्ड के लिए मतदाता सूची के तैयारी के संबंध में समय सारणी क्या है?</td><td>
<table>
<tr><th>कार्य का विवरण</th><th>अवधि(दिनांक)</th></tr>
<tr><td>मतदाता सूची का वार्डवार विखंडन</td><td>30.04.2022 से 11.04.2022 तक</td></tr>
<tr><td>जिला द्वारा सॉफ्टवेयर से मतदाता सूची का वार्डवार विखंडन</td><td>11.05.2022 से 17.05.2022 तक</td></tr>
<tr><td>प्रारूप प्रकाशन की तिथि</td><td>28.05.2022 को</td></tr>
<tr><td>दावा/आपत्ति</td><td>28.05.2022 से 10.06.2022 तक</td></tr>
<tr><td>दावा/आपत्ति निष्पादन</td><td>04.06.2022 से 16.06.2022 तक</td></tr>
<tr><td>मतदाता सूची का PDF तैयार करना</td><td>17.06.2022 से 22.06.2022 तक</td></tr>
<tr><td>मतदाता सूची का अंतीम प्रकाशन</td><td>23.06.2022</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>नगरपालिका निर्वाचन हेतु निर्वाचक सूची कैसे तैयार की जाती है?</td><td>राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की तत्काल लागू निर्वाचक नामावली का उतना भाग, जो किसी नगरपालिका के प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र या वार्ड से संबंधित है, में जिन व्यक्तियों का नाम निर्वाचक के रूप में अंकित है, वे सभी व्यक्ति नगरपालिका निर्वाचन के निर्वाचक होगें। इसी आधार पर वार्डवार निर्वाचक सूची तैयार कर प्रारूप प्रकाशन किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्रारूप मतदाता सूची का कहॉ प्रकाशन किया जाता है?</td><td>संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निबंधन पदाधिकारी/नगरपालिका कार्यालय/अन्य विर्निदिष्ट जगहो पर प्रारूप प्रकाशन किया जाता है। इस प्रकाशन स्थल का निबंधन पदाधिकारी द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूची में कोई व्यक्ति अपना नाम कहॉ देख सकता है?</td><td>मतदान केन्द्रवार प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका) का कार्यालय या निबंधन पदाधिकारी का कार्यालय में दिनांक 28.05.2022 से दिनांक 10.06.2022 तक प्रकाशित रहेगा। साथ ही संबंधित नगर निकाय कार्यालय/वार्ड क्षेत्र/डाकघर/थाना/आम वाचनालय में भी प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन किया जा सकता है। आवेदक अपना नाम www.sec.bihar.gov.in पर भी देख सकते है।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>यदि किसी व्यक्ति का उम्र दिनांक 01.01.2022 को 18 वर्ष हो गया है, परंतु उसका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, वह किसके समक्ष आवेदन करेगा?</td><td>जिस व्यक्ति का नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, वह व्यक्ति नाम जोड़ने के लिए संबंधित वार्ड के निबंधन पदाधिकारी/रिवाईजिंग अथॉरिटी के समक्ष विहित प्रपत्र–2 में आवेदन दे सकते है।</td></tr>
</table>

6	निबंधन पदाधिकारी कौन होता है?	सामान्यतः जिस अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत जो नगर निकाय पड़ता है, उस अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी वहाँ का निबंधन पदाधिकारी होता है।
7	मतदाता बनने का अर्हता क्या है?	किसी अर्हता प्राप्त व्यक्ति का नाम संबंधित वार्ड की प्रारूप निर्वाचक सूची में नहीं है, परंतु वह व्यक्ति दिनांक **01.01.2022 को 18 वर्ष** पूरी आयु कर लिया है एवं सामान्यतः वार्ड में निवास कर रहा है तो, ऐसा व्यक्ति अपना दावा प्रपत्र–02 में संबंधित निबंधन पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत रिवाईजिंग ऑथोरटी के पास दिनांक 28.05.2022 से दिनांक 10.06.2022 तक जमा कर सकते हैं। आवेदक आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज निम्न में से कोई एक–एक कागजात प्रपत्र–2 के साथ संलग्न करेगें। **1. आयु प्रमाण पत्र – जन्म प्रमाण पत्र/शैक्षणिक संस्थान का जन्म प्रमाण पत्र/भारतीय पासपोट/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/ आधार कार्ड/ माता पिता का आयु संबंधि घोषणा पत्र** **2. निवास का प्रमाण पत्र – बैंक/किसान/डाकघर का चालू पासबुक/राशन कार्ड/भारतीय पासपोट/ड्राइविंग लाइसेन्स/आयकर निर्धारण आदेश, पानी/टेलीफोन/बिजली/गैस कनेक्शन का नवीनतम बिल/डाक विभाग से निर्गत कोई भी पत्र/खतियान**
8	मतदाता का नाम कब तक जोड़ा जा सकता है?	मतदाता का नाम अर्हता रहने पर भी नगर निकाय का नोटिफिकेशन आयोग से जारी होने के बाद कोई भी मतदाता का नाम नहीं जोड़ा जायेगा।
9	प्रारूप मतदाता सूची में अंकित नाम में संशोधन करने अथवा उसे विलोपित करने के लिए कब, कैसे और कहाॅ आवेदन देना है?	आवेदक अपने नाम अथवा किसी प्रविष्टि में संशोधन करने हेतु प्रपत्र–2ए में तथा किसी नाम पर आपत्ति करने हेतु प्रपत्र–3 में आवेदन देगा। वह प्रारूप प्रकाशन की अवधि के दौरान दिनांक 28.05.2022 से 10.06.2022 तक अपने निबंधन पदाधिकारी/रिवाईजिंग अथॉरिटी के समक्ष आवेदन दे सकते हैं।
10	किसी मतदाता का नाम यदि एक से अधिक वार्ड में दर्ज है, तो क्या होगा?	प्रपत्र–2A में संबंधित मतदाता द्वारा एक घोषणा निबंधन पदाधिकारी या रिवाइजिंग ऑथोरिटी के समक्ष दी जायेगी, जिसमें उनके द्वारा यह स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा की वह किस वार्ड विशेष के मतदाता के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। तद्नुसार उन्हें संबंधित वार्ड के लिए मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा और शेष वार्ड के मतदाता सूची में से उनका नाम विलोपित कर दिया जायेगा। यदि मतदाता सूची के वार्डवार विखंडन की त्रुटियों के कारण किसी मतदाता का नाम एक से अधिक वार्ड में दर्ज हो गया है तो उसके लिए मतदाता को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विधानसभा की मतदाता सूची के अनुसार जिस वार्ड में उस मतदाता का नाम दर्ज है, उसे रखा जायेगा, शेष को विलोपित कर दिया जायेगा।
11	यदि किसी व्यक्ति का नाम दूसरे वार्ड में अंकित हो गया है, तो वह कैसे आवेदन करेगा?	ऐसी स्थिति में आवेदक उस वार्ड के निबंधन पदाधिकारी/रिवाईजिंग आर्थारिटी के समक्ष नाम हटाने हेतु आवेदन देगा, जहाॅ उसका नाम है तथा उस वार्ड के निबंधन पदाधिकारी/रिवाईजिंग आर्थारिटी के समक्ष नाम जोड़ने हेतु आवेदन देगा, जहाॅ उसे नाम जुड़वाना है।

12	क्या विहित प्रपत्र–2/2ए/3 में ऑनलाईन आवेदन दिया जा सकता है?	हॉ, यदि कोई व्यक्ति चाहें, तो आयोग के वेबसाईट www.sec.bihar.gov.in के माध्यम से भी ऑनलाईन दावा– आपत्ति दे सकता है। ऑनलाईन आवेदन के क्रम में एक यूनिक नंबर जेनरेट होगा, जिसके आधार पर वह दावा आपत्ति के निष्पादन की अद्यतन स्थिति देख सकता है।
13	क्या दावा आपत्ति की सुनवाई में आवेदक का उपस्थित होना आवश्यक है?	हॉ, यदि निबंधन पदाधिकारी/रिवाईजिंग अर्थोरिटी द्वारा सुनवाई हेतु आवेदक को बुलाया जाय, तो उनके समक्ष आवेदक को उपस्थित होकर अपना पक्ष एवं साक्ष्य रखना होगा।
14	किसी आवेदक को दावा आपत्ति प्राप्त करने वाले वार्ड के रिवाईजिंग अथोरिटी के उपलब्ध होने संबंधी तिथि, समय, स्थान की जानकारी कैसे प्राप्त होगी?	निबंधन पदाधिकारी द्वारा आम सूचना के माध्यम से इसकी जानकारी दी जायेगी। साथ ही नोटिस के माध्यम से भी आवेदक को इसकी जानकारी दी जायेगी। आवेदक को आयोग की वेबसाईट www.sec.bihar.gov.in पर भी देख सकते है।
15	क्या सुनवाई के दौरान आवेदक वकील की सहायता प्राप्त कर सकता है?	नहीं, सुनवाई में आवेदक को वकील की सहायता प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है।
16	अंतीम प्रकाशित मतदाता सूची में नाम नहीं है, परंतु पूरक सूची में किसी का नाम है, तो क्या तात्पर्य है?	प्रारूप प्रकाशन के दौरान मतदाता सूची के Mother Roll में नाम नहीं होने के आधार पर यदि आपके आवेदन पर आपका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया गया है, तो वह नाम पूरक सूची में दिखेगा। इस आधार पर भी मतदान कर सकते है।
17	पंचायत की मतदाता सूची में किसी का नाम चला गया, तो क्या वह नगर निकाय चुनाव लड़ सकते है?	नहीं, चूंकि वह व्यक्ति ग्राम पंचायत की मतदाता सूची का सदस्य है, इसलिए वहॉ से संबंधित नगर निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकते है, और न ही मतदान कर सकते हैं।
18	यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो वह मतदान कैसे करेगा?	मतदाता पहचान पत्र राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं बनाया जाता है। मतदाता मतदान देने के समय मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त आयोग द्वारा निर्धारित अन्य वैकल्पिक दस्तावेज यथा–आधार कार्ड/फोटो युक्त पहचान पत्र/ पेंशन पासबुक/मनरेगा पासबुक/पैन कार्ड/पासपोर्ट पहचान पत्र/बैंक पासबुक/ड्राईविंग लाईसेंस/सर्बिस पहचान पत्र/स्वास्थ्य संबंधी कार्ड से भी मतदान कर सकते हैं।